

(22)  
22

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/4349 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 39/अपील/15-17.

शंकरलाल पुत्र स्व. श्री रुध्या  
निवासी ग्राम खण्डला, तहसील  
व जिला बैतूल, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. गुलाब राव पुत्र श्री मन्नू द्वारा मृत वारसान  
अ- श्रीमती दमड़ीबाई पत्नी गुलाबराव  
ब- चेताराम आत्मज गुलाबराव  
स- बावूराव आत्मज गुलाबराव  
द- अशोक कुमार आत्मज गुलाबराव  
समस्त निवासीगण ग्राम खण्डला  
पोस्ट सेहरा,  
तहसील व जिला बैतूल, म.प्र.
2. म.प्र. शासन  
द्वारा कलेक्टर, बैतूल, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री अरशद अली, अभिभाषक, आवेदक  
श्री देवेन्द्र कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण






**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 12.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ग्राम खण्डला में कोटवार के पद पर कार्यरत था। अनावेदक क्र. 1 के पूर्वज वर्ष 1916-17 नंदराम आत्मज जयराम कोटवार माफीखिदमती में ग्राम खंडला में स्थित भूमि खसरा नं. 45 रकबा 5.33 एकड़ एवं खसरा नं. 46 रकबा 1.30 एकड़ जुमला रकबा 6.63 एकड़ भूमि अनावेदक कोटवार के पूर्वज नंदराम आत्मज जयराम के नाम दर्ज थी जो नंदराम के बाद उसके पुत्र गन्नू को विरासतन हक में प्राप्त हुई तथा गन्नू के बाद उसके पुत्र गुलाबराव को विरासतन हक में प्राप्त हुई, जिस पर अनावेदक क्र. 1 काबिजकास्त है। अधिकार अभिलेख पंजी के अनुसार अनावेदक के पिता गन्नू आ. नंदराम को विधि एबोलीशन ऑफ प्रोपाइरिटी राईट्स एक्ट 1951 के अनुसार मौरूसी कास्तकार हुये और इसी कारण पहले भूमिधारी और फिर भूमि स्वामी हुये हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत खण्डला द्वारा दिनांक 17.09.2008 को ग्राम सभा का आयोजन कर तहसीलदार के आदेश का हवाला देते हुए ग्राम कोटवार गुलाबराव आ. गन्नू को पदसे पृथक करने के उपरांत नये ग्राम कोटवार की नियुक्ति के संबंध में ग्राम सभा के सदस्यों एवं ग्रामवासियों की सहमति से आवेदक शंकरलाल आ. रूध्या को ग्राम पंचायत खण्डला का नया कोटवार नियुक्त किया गया। ग्राम सभा के द्वारा चयनित ग्राम कोटवार के संबंध में तहसीलदार बैतूल द्वारा दिनांक 10.07.2009 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 230 के तहत अस्थायी रूप से शंकरलाल आ. रूध्या को ग्राम पंचायत खण्डला का कोटवार नियुक्त किया। शंकरलाल आ. रूध्या के ग्राम कोटवार बनने के उपरांत शंकरलाल द्वारा पूर्व कोटवार गुलाबराव को प्रदाय की गई शासकीय सेवा भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन तहसीलदार, बैतूल के समक्ष करने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 191/बी-121/10-11 पंजीबद्ध कर दिनांक 26.06.2012 को आदेश पारित कर पूर्व कोटवार गुलाबराव आ. गन्नू को निर्देशित किया गया कि ग्राम कोटवार की सेवा भूमि पर से अपना कब्जा तत्काल हटाकर नये ग्राम कोटवार को सौंपे। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश





के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12.09.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बैतूल के आदेश दिनांक 10.07.2009 एवं 26.06.2012 व अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) Brief facts of the case the non applicant Gulabrao who was removed by the Tehsildar on dated 11.09.2008 when Tehsildar got the information from villager of Khandla Tehsil Betul. That present non-applicant did not do his job properly and also involved wrong activities in this regard several application was pending before the authority and also villagers of Khandla was not happy his work. Then so cause notices were issued by the Tehsildar against Gulabrao and he submitted reply before the Tehsildar, Betul but Tehsildar Betul was not satisfied his reply there upon gram shabha resolution was called by the Sarpanch and Secretary of Panchayat Khandla and also patwari report was called by the Tehsildar of Betul.
- (2) On the other side the post of Kotwar was advertise by the tehsildar of Betul, therefore the application of applicant was considered 10.07.2009 by the Tehsildar and found he is able to do as a work Kotwar then the present applicant was temporary appointed on dated 10.07.2009.
- (3) The non applicant Gulabrao who moved an appeal against the order dated 10.07.2009 before the S.D.O. Court Betul and matter was admitted and record was called and notices were issued. Then S.D.O. Court observed minutely and found that there is no illegality of Tehsildar Court order and finally dismissed the appeal of Gulabrao on dated 26.06.2012.





- (4) In the mean time the applicant moved a application before the Tehsildar for taking possession of Kotwar land which is given by the authority to Kotwar for cultivation. In this regard matter was admitted before the Tehsildar Court and finally order was passed in favour of applicant and directed farmer Kotwar Gulabrao to hand over bearing survey No. 122,294 immediately and order was passed 09.06.2016.
- (5) In this regard the non applicant moved the application for possession of disputed land because he is a oldest Kotwar of Betul so that he is owner of this land. That appeal was also dismissed by the S.D.O. of Betul on dated 13.09.2012.
- (6) Non applicant also moved Civil suit against the Madhya Pradesh which was admitted on dated 11.02.2014 at Civil Judge-II Betul in case No. 59-A/2014 through title Gulabrao Pandale Vs. Madhya Pradesh through Collector which was finally dismiss of on dated 20.12.2014.
- (7) The applicant was selected (appointed) as a Kotwar with due procedure law on dated 10.07.2009 by the Tehsildar Betul and land was handed over by the tehsildar so that present applicant uses this land for cultivation.
- (8) On the other side the non-applicant died during pending of appeal and his family member claiming compensation job also claiming rights of Kotwar land because his family member is oldest Kotwar since 1915-16. It is also mentioned here the applicant was appointed with due procedure law and land is being cultivated by present applicant Shankarlal. So that no error is apparently shown in Tehsildar proceeding as well as S.D.O. Court preceeding only Upper Commissioner Hosangabad who was the order against the law on dated 12.09.2017.

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12.09.2017 के अनुसार प्रकरण में गुलाबराव अपीलार्थी द्वारा

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

कोटवार पद से किसी प्रकार का इस्तीफा देने से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे सिद्ध हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में इस्तीफा दिये जाने से ग्राम कोटवार का पद रिक्त हुआ है साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई दंडनीय प्रकरण दर्ज नहीं है, जिससे सिद्ध हो कि अपीलार्थी कोटवार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन से पदच्युत किया गया हो। प्रकरण में तहसीलदार, बैतूल द्वारा पूर्व कोटवार की नियुक्ति निरस्त की है। ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। प्रकरण में ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं पाया गया, जिससे सिद्ध हो कि संबंधित ग्राम पंचायत में नए कोटवार की नियुक्ति की जाये। ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं तहसीलदार का हवाला देकर नए कोटवार की नियुक्ति कर ली है, जिसमें संहिता की धारा 230 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। संहिता की धारा 230 के तहत नवीन कोटवार की नियुक्ति से पूर्व निवृत्त कोटवार के निकट संबंधियों को अधिमान दिया जायेगा। मृत कोटवार की विधवा नियम 4(2) के अधीन अधिमान की प्राप्ति है। ग्राम पंचायत खण्डला एवं तहसीलदार बैतूल द्वारा नये कोटवार की नियुक्ति प्रक्रिया में संहिता की धारा 230 में वर्णित प्रावधानों का विधिवत पालन नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से न लेते हुए तहसीलदार का आदेश यथावत रखा है, जो विधि विरुद्ध है। अतः ग्राम पंचायत खण्डला द्वारा 17.09.2008 को ग्रामसभा में की गई कार्यवाही एवं तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2009 एवं 26.06.2012 तथा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाते हैं। प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त, होशंगाबाद द्वारा विधिवत आदेश पारित किए हैं, जिन्हें यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।


5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालयमें प्रकरण सेवा भूमि का कब्जा दिलाने का था। गुलाब राव को कोटवार पद से हटाया गया था, जिसकी उसने पृथक से अपील की, जो गुलाब राव ने अनुविभागीय अधिकारी के सामने स्वीकार भी किया है। जमीन का प्रकरण भी वह सिविल न्यायालय में हार चुका है। अपर आयुक्त ने सेवा भूमि के कब्जे के प्रकरण को कोटवार नियुक्ति का प्रकरण मानने में त्रुटि की है। उनके द्वारा सूक्ष्मता से रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः उनका आदेश विषय से हटकर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेवा भूमि पद के साथ जुड़ी है, अतः इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.09.2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

  
सीडर

  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर